

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट (योजना)-02/2022.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

सीतामढ़ी एवं कटिहार

पटना दिनांक :-

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद एवं वेतनादि मद से भिन्न मद में राशि की उपलब्धता के आधार पर कुल- **17,20,000.00 (सत्रह लाख बीस हजार)** रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष						योग
		01 01 वेतन	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	02 01 मजदुरी	13 01 कार्यालय व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी	3,00,000	1,00,000	3,00,000	2,00,000	-	-	9,00,000
2	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	-	-	-	-	20,000	8,00,000	8,20,000
कुल योग :-		3,00,000	1,00,000	3,00,000	2,00,000	20,000	8,00,000	17,20,000

(सत्रह लाख बीस हजार) रुपये मात्र

नोट :-1. जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेतनादि मद के अन्य मद में उपलब्ध आधिक्य राशि से समेकित रूप से वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40- 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

Signed by Jai Singh

Date: 25-02-2023 12:15:45

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सहायक निदेशक/लेखा शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।